(21)

श्री भरत भालवाधू अभि. द्वारा 16-1-18 को प्रस्तुत किया/ 16-1-18

निगरानी प्रकरण क्रमांकः /2018

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/0680

1. श्रीमती सुलोचना पति स्व.श्री कल्याणसिंह
2. रामनिवास पिता स्व. श्री कल्याणसिंह

दोनों निवासी- ग्राम सिरपुर,

तहसील व जिला इन्दौर ....प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. शेख मो. जुल्फिकार, अध्यक्ष,
   रघुवीर नगर गृह निर्माण सह.संस्था मर्यादित, इन्दौर
   निवासी- दस्तक भवन, 53/1, नन्दलालपुरा चौराहा
   इन्दौर (म.प्र.)
2. ओमप्रकाश पिता श्री गोविन्दसिंह सलूजा
3. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पति स्व.गोविन्दसिंह सलूजा
4. श्रीमती सतनाम कौर पति ओमप्रकाश सलूजा
5. गौरव पिता ओमप्रकाश सलूजा
   क्रं. 2 से 5 निवासी- 51, विष्णुपुरी एनेक्स,
   इन्दौर (म.प्र.)
6. लालू पिता प्रताप नागर
7. श्रीमती रूपाली पति लालू नागर
   क्रं. 6 व 7 निवासी- गणेश नगर, खंडवा रोड़, इन्दौर
8. नवीन कालरा पिता मोहनलाल कालरा
   निवासी- 67, वीर सावरकर नगर, इन्दौर

अविरत..2..

9. विनोद कालरा पिता मोहनलाल कालरा
10. श्रीमती वीना पति विनोद कालरा
11. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पति स्व.मोहनलाल कालरा
    क्रं. 8 से 10 निवासी- 4, विद्यानगर, इन्दौर
12. श्रीमती रीतू पति मुकेश राजवानी
    निवासी- 27, पलसीकर कालोनी, इन्दौर
13. बाबूलाल पिता स्व. रामचन्द्र
    निवासी- ग्राम सिरपुर, तहसील व जिला इन्दौर ... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 19/अ-12/2017-18 में की जा रही कार्यवाही दिनांक 26.12.2017 से असंतुष्ट होकर, यह निगरानी नियत समयावधि में योग्य न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के सक्षम निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा/18/0680

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर के प्रकरण क्रमांक 19/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 26–12–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा ग्राम सिरपुर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 95/4 एवं 95/5 कुल रकबा 3.042 का इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15–6–2011 के पालन में अभी तहसीलदार द्वारा द्वारा नक्शा दुरूस्ती करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक को अपना पक्ष रखने का तहसील न्यायालय के समक्ष अवसर उपलब्ध है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	